

जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(बी) के अन्तर्गत सूचना

1	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	श्रम विभाग,उ0प्र0 शासन के अधीन श्रम आयुक्त संगठन, सेवायोजन निदेशालय तथा कर्मचारी राज्य बीमा संगठन आते है, इसकी विशिष्टियां कृत और कर्तव्य श्रम विभाग,उत्तर प्रदेश शासन की बेबसाइट से हाइपर लिंक इन विभागों की बेबसाइट पर देखी जा सकती है।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	श्रम विभाग,उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य सचिवालय मैनुअल में दी हुई है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं	उत्तर प्रदेश सचिवालय मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	---उपरोक्तानुसार---
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	उ0प्र0 सचिवालय मैनुअल, उ0प्र0 सचिवालय रूल्स आफ बिजनेस, बजट मैनुअल आदि के अनुसार कार्यवाही की जाती है। अधीनस्थ विभागाध्यक्षों के लिए उनकी बेबसाइट में व्यवस्था दी गई है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में है	कोई नहीं।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं	उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार।
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गयी हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिये सुलभ है	बोर्ड/परिषद/समितियों आदि के विवरण श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश की बेबसाइट से देखे जा सकते है।

9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	श्रम विभाग उत्तर प्रदेश शासन की बेसाइट के होमपेज पर निर्देशनी में देखे जा सकते हैं।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो	छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	कोई नहीं।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्मिलित हों	कोई नहीं।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	कोई नहीं।
14	किसी इलेक्ट्रनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों	विभागीय वेबसाइट http://www.labour.nic.in
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं	पूर्ण कार्यालय समय पूर्वान्ह 9.30 बजे से अपराह्न 18.00 बजे तक।
16	जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य	1- श्री बादल चटर्जी, 2214830 2238159 विशेष सचिव (अपीलीय अधिकारी) कक्ष सं0-705, सातवाँ तल, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय 2- श्री सत्येन्द्र कुमार 2214608 अनु सचिव (जन सूचना अधिकारी) श्रम अनुभाग-1,2 व 6 कक्ष सं0-807, आठवाँ तल, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय 3- श्री के0 डी0 वर्मा 2214607 अनु सचिव (जन सूचना अधिकारी) श्रम अनुभाग-3,4 व 5 कक्ष सं0-808, आठवाँ तल, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय